भाकृअनुप–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
अनुसंधान केन्द्र, सैक्टर 27–ए, मध्य मार्ग चण्डीगढ़–160019
ICAR- Indian Institute of Soil & Water Conservation Sector
27-A, Madhya Marg, Chandigarh-160016
Tel. (O) 0172 - 2659365, Fax : 0172 – 2650783
Email: soilcons_chd@yahoo.com website http://www.cswcrtiweb.org

पत्रांक सं. 7(7)/2019-20/Store/ दिनांक: 16-04-2021

निविदा सूचना

केन्द्राध्यक्ष, भाकृअनुप–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, सैक्टर 27–ए, मध्य मार्ग चण्डीगढ द्वारा विभिन्न फलदार पौधों में लगने वाले फलों की नीलामी (संलग्न लिस्ट के अनुसार) जिनकी कुल संख्या 866 है, की नीलामी हेतु सील बन्द लिफाफे में निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। यह नीलामी एक वर्ष तक वैध रहेगी। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि वे किसी भी कार्यालय दिवस पर 09:00 से 04 बजे तक फलदार पौधों का नीरीक्षण संस्थान के रिसर्च फार्म मनसा देवी पर आकर कर सकते हैं तथा **आंकलन अनुसार** अपनी निविदा दिनांक 06.05.2021 शाम 5:00 बजे तक केन्द्राध्यक्ष, भाकृअनुप: भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान अनुसंधान केन्द्र, सैक्टर 27–ए, मध्य मार्ग चण्डीगढ में स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं तथा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय के टैंडर वोक्स में डाली जा सकती हैं। यह निविदाऐं दिनांक 07.05.2021 प्रातः 11:00 बजे खोली जाऐंगी।

निबंधन एवं शर्तें

1. बोलीदाता की पंजीयन राशि रू. 10,000/– पंजीयन के समय बोलीदाता को नगद/डी.डी/बैंकर्स चैक/Pos machine के माध्यम से जो कि Head, CS&WCRTI, RC, Chandigarh के पक्ष में देय हो जमा करानी होगी।
2. निविदा में कटिंग व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए, यदि हो तो उस पर हस्ताक्षर करने आवश्यक हैं।
3. बोलीदाता को अपना बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी कोड, बैंक का नाम, अपना पैन नं. व आधार नं. की प्रति संस्थान कार्यालय को उपलब्ध करानी होगी।
4. सफल/उच्चतम बोलीदाता को कुल नीलामी राशि का 25 प्रतिशत राशि तत्काल नगद/डी.डी/बैंकर्स चैक/ए.टी.एम के माध्यम से Head, CS&WCRTI, RC, Chandigarh के पक्ष में जमा करवानी होगी। ऐसा नही किए जाने पर नीलामी की पंजीयन/धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी जिसके लिए बोलीदाता स्वंय जिम्मेवार होगा तथा संस्थान के केन्द्राध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह दूसरे नंबर के अधिकतम बोली दाता के पक्ष में नीलामी स्वीकृत कर सके अथवा उक्त नीलामी को रद्द किए जाने का अधिकार उनके पास सुरक्षित होगा।
5. सफल बोलीदाता को नीलामी आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर नीलामी की बकाया 75 प्रतिशत राशि संस्थान में जमा करानी होगी। निश्चित समयावधि में नीलामी की 75 प्रतिशत राशि नही जमा कराए जाने की स्थिति में सफल बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई नीलामी की 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जाएगी तथा नीलामी निरस्त कर दी जाएगी जिसके लिए बोलीदाता स्वंय जिम्मेवार होगा।
6. सफल बोलीदाता द्वारा फसलों पर लगाए गए कर्मचारियों के पहचान पत्र संस्थान को उपलब्ध करवाने होगें तथा यदि ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा संस्थान की किसी भी सम्पति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में नुकसान की पूरी भरपाई ठेकेदार से वसूल की जाएगी।

7. **नीलामी स्वीकृत किए जाने के बाद फलों की देख–रेख व चौकीदारी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। पौधों को दवाई इत्यादि (input) तथा पानी केन्द्र की और से प्रदान किया जाएगा तथा स्प्रै इत्यादि करवाने हेतु तथा फलों को तोडने तथा लेवर का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।**
8. प्राकृतिक आपदा से हुआ नुकसान के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
9. फलों को कार्यालय से बाहर ले जाने का समय सुबह 9:30 से 5:00 बजे तक होगा।
10. नीलाम किए गए फलों के अतिरिक्त संस्थान के किसी भी प्रकार के सामान को कार्यालय से बाहर ले जाना व सरकारी सम्पत्ति की क्षति पूर्ण रूप से निषेध होगा। यदि ऐसा पाया गया तो वह सरकारी सम्पति की चोरी मानी जाएगी जिसके लिए संस्थान ठेकेदार के विरूद्ध कानूनी कार्यावाही किए जाने के लिए स्वतंत्र होगा तथा ऐसी स्थिति में केन्द्राध्यक्ष को यह भी शक्ति प्राप्त होगी कि वह तुरन्त प्रभाव से ठेकेदार का नीलामी ठेका रद्द करते हुए ठेके के अन्तर्गत जमा कराई सम्पूर्ण राशि को जब्त कर लिया जाए जिसके लिए ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा।
11. ठेकेदार को नीलामी की सभी नियम व शर्तों का कडाई से पालन करना होगा। ठेके के नियम एंव शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा इस ठेके के सन्दर्भ में जमा कराई गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी।
12. इस नीलामी को स्वीकृत करने/रद्द करने के पूर्ण अधिकार केन्द्राध्यक्ष के पास सुरक्षित होंगे।
13. नीलामी ठेके के सन्दर्भ में यदि ठेकेदार एंव संस्थान के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में उस विवाद का निवारण आपसी बातचीत द्वारा पूर्ण किया जाएगा अगर आपसी बातचीत से उसका निवारण नही होता है तब ऐसी स्थिति में विवाद को संस्थान के निदेशक, मुख्यालय देहरादून को विवाद के निवारण हेतू प्रस्ताव भेजा जाएगा तथा संस्थान के निदेशक महोदय का निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
14. ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के लिए चण्डीगढ़ न्यायालय ही मान्य होगा।
15. ठेके की अवधि एक वर्ष तक मान्य होगी।

हस्ता/–

सहायक प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. सहायक प्रशासनिक अधिकारी (भण्डार) भा0कृअनुप0–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को cpp portal पर upload करने हेतु।
2. प्रभारी, AKMU Cell, भा0कृअनुप0–भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, देहरादून को Institute Website पर upload करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड, चण्डीगढ़ कार्यालय।
4. नोटिस बोर्ड, चण्डीगढ अनुसंधान प्रक्षेत्र कार्यालय।

Location-wise status of fruit plants

Sr. No	Species Name	Agri.+ Hort Block	NATP	SALT	Office Campus	Hort. Nursery	Guest House	Total
1	Mango	12	24	0	4	24	22	86
2	Guava	6	100	107	53	7	13	286
3	Kinoo	58				16	3	77
4	Ber	171						171
5	Sapota	19				1	5	25
6	Karonda	61	9					70
7	Peach					16	2	18
8	Black berry	2			4	4	1	11
9	Bhel	50	7			5	2	64
10	Lemon					6	3	9
11	Litchi					4		4
12	Plum					1		1
13	Pear					1		1
14	Anar					18	1	19
15	Hard		24					24
	TOTAL	**379**	**164**	**107**	**61**	**103**	**52**	**866**

DETAILS FOR CPP PORTAL	
Bid submission start date	16.04.2021 (06:00 PM)
Bid submission end date	06.05.2021 (05:00 PM)
Date of open bids	07.05.2021 (11:00 AM)
Bid Opening Place	IISWC, RC, Chandigarh
Bid validity	365 Days
Work completion period (in days)	365 Days
EMD to be deposited with bid	10,000/-